न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 117/2008

1. लक्ष्मण पुत्र श्री राम (फौत)
2. गन्या पुत्र श्री राम
3. लाला पुत्र श्री राम
   समस्त जाति धानक्या, निवासीः ग्राम किशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. नरसीलाल पुत्र छाजू जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम किशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती दाखां पत्नि स्वर्गीय श्री छाजू (मृतक) जरिये वारिसानः
   - 2/1 श्रीमती संज्या पत्नि श्री रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण, निवासीः सरदार पटेल कॉलोनी, जी.पी.ओ के सामने, जयपुर।
   - 2/2 श्रीमती लादी पत्नि श्री महादेव, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः प्लॉट नंबर 164, झालाना रोड, मालवीय नगर, जयपुर।
   - 2/3 श्रीमती धापू पत्नि श्री हरिनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम मनोहरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 2/4 श्रीमती कल्ली पत्नि श्री चौथूराम जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम श्यामपुरा बुधारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 2/5 श्रीमती मनभर पत्नि श्री बिरधीचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम तितरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
   - 2/6 श्रीमती धगली पत्नि श्री मूलचन्द, जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम खेतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमान तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 142 रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट–2 बाबत कार्यवाही आदेश राजस्व मंडल आदेश दिनांक 03.04.02

उपस्थितः

श्री अरविन्द कुमार पारीक एड़वोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री शिखरचन्द जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 26.12.2019

–: निर्णय :–

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 142 रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट–2 माननीय राजस्व मंडल अजमेर के आदेश दिनांक 03.04.2002 पर कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्री किशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 290 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 525, 526, 530, 531 व 532 बने है जिनका कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर बना है। इस भूमि में से आधे हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण के पिता थे व उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगणों की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में खुल गई। इस प्रकार कुल भूमि के 1/2 भाग की खातेदारी रामचन्द्र पुत्र गणेश के नाम एवं 1/2 भाग की खातेदारी प्रार्थीगणों के नाम रही। श्रीमान तहसीलदार सांगानेर ने एक आवेदन अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह कहते हुये विरूद्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के साबिक खसरा नंबर 209 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के 1/2 हिस्से के लिये दिनांक 29.04.1976 को श्रीमान एसीएम चाकसू के समक्ष पेश किया जिसमे अभिकथित किया कि लक्ष्मण, गन्या तथा लाला पुत्रान श्री राम ने उक्त आराजी शिकमी काश्त के लिये छाजू पुत्र गोपी ब्राहम्ण को बता दिया है और यह हस्तान्तरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से भूमि राज्य सरकार में निहित होने योग्य है। इस पर श्रीमान एसीएम चाकसू ने छाजू की बेदखली के आदेश अपने निर्णय दिनांक 05.05.1988 में दते हुये भूमि राज्य सरकार में निहित होने का आदेश दिया। उक्त आदेश 05.05.1988 की प्रथम अपील उक्त छाजू वगैराह द्वारा श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां हुई जिन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1990 द्वारा अपील छाजू स्वीकार कर, छाजू को खातेदार घोषित करवा लिया। उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर विपक्षीगणों ने अपने नाम खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 05.05.1992 के करवा लिये। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1990 श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी जयपुर अपील संख्या 28/1988 उनवानी छाजू बनाम सरकार के खिलाफ पुनिश्चः द्वितीय अपील राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर में सरकार द्वारा प्रस्तुत हुई जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के उपरोक्त वर्णित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1990 अपील संख्या 28/1988 को निरस्त कर दिया गया और सुनवाई हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। यह निर्णय राजस्व मंडल ने अपील संख्या 90/1998 में दिनांक 03.04.2002 को पारित किया। इस प्रकार माननीय अदालत राजस्व अपील अधिकारी जयपुर का उपरोक्त निर्णय निरस्त हो जाने से प्रार्थीगण को यह अधिकार है कि दिनांक 31.03.1990 के निर्णय व डिक्री के आधार पर विपक्षीगणों के नाम खुले नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 05.05.1992 के जरिये हुये राजस्व रिकॉर्ड के उक्त इन्द्राजात को निरस्त कलमजन किये जाने हेतु आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त करे। इसी हेतुक से यह आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि रेस्टीट्यूशन की कार्यवाही सम्पन्न हो सके। उक्त प्रकार से यद्यपि राजस्व मंडल के रिमाण्ड के निर्णय दिनांक 03.04.2002 अपील संख्या 90/1998 के बाद श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी ने इसके परिप्रेक्ष्य में पुनः दिनांक 21.07.2006 को अपना निर्णय पारित कर दिया। उसके खिलाफ प्रार्थीगणों ने राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में कानूनी सलाह लेकर पुनः द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण/अप्रार्थीगणो के पक्ष में जरिये नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 05.05.1992 के हुये राजस्व इन्द्राजात के परिवर्तन निरस्त योग्य होकर पुनः खातेदारी प्रार्थीगणों के नाम पूर्वानुसार करने के आदेश पाने के प्रार्थीगण कानूनन हकदार है। अंत में प्रार्थीगण ने अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 05.05.1992 के इन्द्राज व इसके आधार पर पश्चातवर्ती आज तक हुये समस्त परिवर्तनों को समाप्त कर माननीय राजस्व अपील अधिकारी जपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1990 के पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

3. प्रार्थना प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 03.04.2002 को निर्णय पारित कर प्रकरण न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया था। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 31.03.1990 निष्प्रभावी हो चुके है एवं निर्णय के प्रभाव में विपक्षीगणों ने अपने नाम खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 05.05.1992 को करवाये है वह भी समाप्त हो चुके है। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2002 की क्रियान्विती न्यायहित में करवाया जाना आवश्यक है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2002 की क्रियान्विती करवाई जावे। वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थीगण के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.2002 के माध्यम से प्रकरण न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.07.2006 को आदेश पारित कर धारा 175 की कार्यवाही को खारिज किया जा चुका है एवं उक्त निर्णय के विरूद्व निगरानी भी माननीय राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 18.09.2017 को खारिज की जा चुकी है जो वर्तमान में भी प्रभावी निर्णय है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा को मुगालते में रखकर झूंठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर 1980 (एस.सी.) पेज 1528, ए.आई.आर 1996 (बॉम्बे) 48, ए.आई.आर. 1977 (कलकत्ता) 281 पेश किये।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 290 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 525, 526, 530, 531 व 532 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर बाबत तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायालय एसीएम चाकसू के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय एसीएम चाकसू ने दिनांक 05.05.1988 को निर्णय पारित कर छाजू को बेदखली करने एवं भूमि राज्य सरकार में निहित होने का आदेश दिया। जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज छाजू द्वारा प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.03.1990 को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय की 175 की कार्यवाही को गलत बताकर छाजू को खातेदार घोषित किया। उक्त आदेश के विरूद्व तहसीलदार द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 03.04.2002 को अपील स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1990 को निरस्त कर प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.07.2006 को निर्णय पारित कर अधिनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

धारा 175 की कार्यवाही को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मंडल अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई जिसे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 18.09.2017 को खारिज कर दी गई है, जो वर्तमान में अंतिम निर्णय होने से प्रभावी है।

5. इस प्रकार स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.2002 के माध्यम से प्रकरण न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.07.2006 को आदेश पारित कर धारा 175 की कार्यवाही को खारिज किया जा चुका है एवं उक्त निर्णय के विरूद्व निगरानी भी माननीय राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 18.09.2017 को खारिज की जा चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरूद्व कोई कार्यवाही की गई हो। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2006 वर्तमान में भी प्रभावी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 03.04.2002 बाबत कार्यवाही करवानी चाही है किन्तु उक्त निर्णय वर्तमान में प्रभावी नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पूर्व में ही पारित निर्णय दिनांक 03.04.2002 वर्तमान में निष्प्रभावी हो चुका है, इस कारण प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

6. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर